सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 1068 राँची, गुरूवार, 26 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 दिसम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-6/2014 का०- 10166-- श्री अलोईस लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-504/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, चतरा, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-68/गो0, दिनांक 20.10.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. चतरा जिले में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु बिना प्रक्रिया का पालन किये NGO's का चयन किया गया है, जिसमें उप विकास आयुक्त द्वारा अनुशंसा की गयी।

2. चतरा जिले में मनरेगा योजना में सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना तथा योजना की स्थलवार सूची के बगैर तथा योजना की स्वीकृति में अनुशंसा तत्कालीन उप विकास आयुक्त द्वारा दी गयी।

3. चतरा जिले में योजना की स्वीकृति के साथ ही NGO's को अग्रिम स्वरूप वेलफेयर प्वांयट को दिनांक 15.02.2008 को 4.00 (चार करोड़) रू0 विमुक्त किया गया है तथा प्रेरणा निकेतन को दिनांक 14.05.2008 को 2.00 (दो करोड़) रू0 राशि विमुक्त की गयी है। जिसमें उप विकास आयुक्त द्वारा अनुशंसा की गयी।

4. योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था नहीं थी। जिस कारण संस्थाओं द्वारा मनरेगा के मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया।

5. मनरेगा योजना के मापी हेतु किसी कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी।

6. मनरेगा योजना पर स्थल जाँच की गयी तो अनेक योजना में जिनके विरूद्ध NGO's के लिए राशि का भुगतान किया गया है, वे योजना वास्तव में क्रियान्वित नहीं थे।

पुनः, श्री लकड़ा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-14, दिनांक 04.01.2013 द्वारा पूरक आरोप प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. पंचायत समिति एवं जिला परिषद (संसोधन) अधिनियम, 1973 की धारा-47(क) का उल्लंघन किया गया है।

2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्ग-निर्देशिका की कंडिका-2.2(A)(i) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा उपायुक्त को नियमसंगत प्रस्ताव देने के बजाय गलत प्रस्ताव देने एवं दुर्विनियोग का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया गया।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की (चैप्टर-IV) धारा-13 एवं 16 में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड पंचायत अधिनियम, 2001 में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है, परन्तु उनके द्वारा उन कर्त्तव्यों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

4. मनरेगा की धारा-27(2) का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे गबन के दोषियों पर समय रहते समुचित कार्रवाई नहीं की गयी और सरकारी राशि का गबन किया गया।

श्री लकड़ा के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9977, दिनांक 15.10.2013 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री लकड़ा के पत्रांक-2506, दिनांक 16.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री लकड़ा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-980, दिनांक 31.01.2014 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल से राज्य ग्रामीण रोजगार गांरटी आयुक्त के माध्यम से मंतव्य की माँग की गयी। कई स्मार पत्र निर्गत किये जाने के बावजूद भी प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल से मंतव्य अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9668, दिनांक-08.09.2017 द्वारा श्री लकड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-151, दिनांक-24.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा चतरा जिला में योजना की स्वीकृति के साथ एन0जी0ओ0 को अग्रिम स्वरूप वेलफेयर प्वायंट को 4.00 करोड़ एवं प्रेरणा निकेतन को 2.00 करोड़ रूपये की राशि विमुक्ति की अनुशंसा अर्थात योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि की 80% राशि प्रथम अग्रिम के रूप में विमुक्ति करने की अनुशंसा सही नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

श्री लकड़ा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री लकड़ा के

विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4569, दिनांक-11.06.2019 द्वारा श्री लकड़ा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री लकड़ा के पत्र, दिनांक-01.07.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है।

श्री लकड़ा के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री लकड़ा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में वही बातें दोहरायी गई, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण अथवा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखी थी। श्री लकड़ा के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है। समीक्षोपरांत, श्री लकड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-6671, दिनांक 22.08.2019 एवं पत्रांक-8762, दिनांक 31.10.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2740, दिनांक 22.11.2019 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः, श्री अलोईस लकड़ा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, चतरा, सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरूद्ध **झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1068 -- 50